

RBI ने 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाया

प्रलिमिस के लिये:

[भारतीय रजिस्टर बैंक \(RBI\)](#), [वमिद्रीकरण, भ्रष्टाचार, सक्रिका नरिमाण अधनियम, 2011](#), [RBI अधनियम, 1934](#), [वत्तित अधनियम, 2017](#)

मेन्स के लिये:

RBI की क्लीन नोट पॉलसी, 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाने का प्रभाव, भारत में कानूनी नविदा के प्रकार, वमिद्रीकरण

चर्चा में क्यों?

भारतीय रजिस्टर बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने 19 मई, 2023 को घोषणा की कविह 2000 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस ले लेगा।

- हालाँकि मौजूदा नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। RBI ने एक उदार समय-सीमा प्रदान की है, जिससे व्यक्ति 30 सतिंबर, 2023 तक नोट जमा या वनिमिय कर सकते हैं।
- यह कदम RBI की क्लीन नोट पॉलसी का हसिसा है, जिसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले करेंसी नोट एवं सक्रिके प्रदान करना है।

RBI का 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाने का कारण:

- 2000 रुपए के नोट की निकासी:**
 - RBI के अनुसार, 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटाना उसके मुद्रा प्रबंधन कार्यों का हसिसा है।
 - [वमिद्रीकरण](#) के दौरान 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद तत्काल मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उच्च 2016 में 2000 रुपए के नोट का प्रचलन शुरू किया गया था।
 - उपलब्ध अन्य मूल्यवर्ग के नोटों की प्रयाप्त आपूरति के साथ वर्ष 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी, क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता का प्रारंभिक उद्देश्य प्राप्त किया जा चुका था।
 - 31 मार्च, 2023 तक प्रचलन में शामिल 2000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो प्रचलन में कुल नोटों का केवल 10.8% है।
 - अंतमि बार भारत ने नवंबर 2016 में वमिद्रीकरण किया था, जब सरकार ने जाली नोटों को चलन से हटाने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपए के नोट वापस ले लिये थे।
 - इस कदम ने रातोंत अरथव्यवस्था की 86% मूल्य मुद्रा को प्रचलन से हटा दिया था।
- 2000 रुपए के नोटों को बदलना और जमा करना:**
 - 2000 रुपए के नोटों को बदलने और जमा करने की सीमा एक समय में 20,000 रुपए निर्धारित की गई है। गैर-खाताधारक भी इन नोटों को किसी भी बैंक खाता में बदल सकते हैं।
 - [नो योर कस्टमर \(KYC\) अरथात् \(अपने गराहक को जानपि\)](#) मानदंडों और अन्य लागू नियमों के अनुपालन के अधीन बनी किसी सीमा के ये नोट बैंक खातों में जमा किया जा सकते हैं।
- प्रभाव:**
 - RBI गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का प्रभाव अरथव्यवस्था पर "बहुत मामूली" होगा क्योंकि प्रचलित कुल मुद्रा में इनका हसिसा केवल 10.8 प्रतिशत है।
 - इन नोटों को प्रचलन से हटाए जाने से "सामान्य जीवन या अरथव्यवस्था" में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि अन्य मूल्यवर्गों में बैंक नोटों का प्रयाप्त भंडार है।
 - कुछ अरथशास्त्रियों का कहना है कि उच्च मूल्यवर्ग के नोट वापस लेना "वमिद्रीकरण का एक उचित कदम" है और उच्च ऋण वृद्धिके समय बैंक जमा को बढ़ावा दे सकता है।
 - इन नोटों को प्रचलन से हटाए जाने से जमा दर में वृद्धिपर दबाव कम हो सकता है और इसके परणामस्वरूप अल्पकालिक

ब्याज दरों में कमी आ सकती है एवं इससे **काले धन** और **भ्रष्टाचार** पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

RBI की क्लीन नोट पॉलसी क्या है?

- क्लीन नोट पॉलसी नागरिकों को मुद्रा नोट और सक्रिय प्रदान करने पर केंद्रति है, जिसमें खराब, गंदे या पुराने नोटों को प्रचलन से वापस लेते समय सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाया जाता है।
 - 'खराब नोट' का आशय ऐसे नोट से है जो सामान्य लेन-देन के कारण गंदा या क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके अंतर्गत एक साथ चिपके हुए फटे नोट भी शामिल हैं जिसमें फटे हुए नोट के टुकड़े एक ही नोट के होते हैं और बनी कसी आवश्यक विशेषता के पूरे नोट को आकर देते हैं।
- वर्ष 2005 के बाद छपे बैंक नोटों की तुलना में कम सुरक्षा सुविधाओं के कारण वर्ष 2005 से पहले जारी किये गए सभी बैंक नोटों को RBI ने वापस ले लिया था। हालाँकि ये पुराने नोट अभी भी कानूनी नविदि हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेख्यता करने के लिये वापस ले लिये गए हैं।

भारत में वमिद्रीकरण:

- परिचय:
 - वमिद्रीकरण कानूनी मुद्रा के रूप में मौजूद एक मुद्रा इकाई को प्रचलन से बाहर करने का कार्य है। मुद्रा के वर्तमान रूप या रूपों को प्रचलन से वापस ले लिया जाता है और सेवानवित्त कर दिया जाता है, जिसे सामान्यतः नए नोटों या सक्रियों से परवर्तित कर दिया जाता है।
- भारत में वैधता:
 - भारत में वमिद्रीकरण का कानूनी आधार भारतीय रजिस्टर बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) है, जो RBI की सफारिश पर केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बैंक नोटों की कसी भी शृंखला को कानूनी नविदि नहीं घोषित करने का अधिकार देती है।
 - भारत की वमिनिन अदालतों में दायर कई याचिकाओं में वमिद्रीकरण की वैधता को चुनौती दी गई थी।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने वमिद्रीकरण को वैध ठहराया और कहा कि 500 रुपए तथा 1,000 रुपए के करेसी नोटों का वमिद्रीकरण **आनुपातिकता के परीक्षण** को सुनिश्चित करता है।
 - आनुपातिकता का परीक्षण यह दर्शाता है कि क्या वमिद्रीकरण के लाभ लागत से अधिक हैं।
 - आनुपातिकता का परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु वमिद्रीकरण के लाभ प्रयाप्त रूप से महत्वपूर्ण होने चाहिये जो इसके कारण होने वाली लागतों और व्यवधानों को उचित ठहरा सकें।
- लाभ:
 - मुद्रा का स्थरीकरण: वमिद्रीकरण का उपयोग मुद्रा को स्थरि करने और मुद्रास्फीति से लड़ने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने, जालसाजी पर अंकुश लगाने, बाजारों तक पहुँच बनाने तथा अनौपचारिक आरथक गतिविधियों को अधिक पारदर्शता एवं काले और ग्रे बाजारों से दूर करने के लिये एक उपकरण के रूप में उपयोग किया गया है।
 - काले धन पर अंकुश लगाना: सरकार ने तरक दिया कि वमिद्रीकरण कर चोरी करने वालों, भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा नकद के रूप में रखे गए काले धन या बेहिसाब आय को उजागर कर देगा।
 - इससे सरकार के कर आधार और राजस्व में वृद्धि होगी और देश में भ्रष्टाचार तथा अपराध कम होंगे।
 - डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है: यह वाणिज्यिक लेन-देन के डिजिटलीकरण को भी प्रोत्साहित करता है, अरथव्यवस्था को औपचारिक बनाता है तथा इस प्रकार सरकार के कर राजस्व में वृद्धि करता है। यह भुगतान प्रणाली मैपारदर्शता, दक्षता के साथ ही सुविधाजनक है एवं मुद्रा की छपाई और प्रबंधन की लागत को कम करता है।
 - अरथव्यवस्था के औपचारिकीकरण का अरथ है कंपनियों को सरकार के नियमित शासन के अंतर्गत लाने के साथ वनिरिमाण और आयकर से संबंधित कानूनों के अधीन करना।
- कमयाँ:
 - अस्थायी मंदी: वमिद्रीकरण के दौरान रूपांतरण प्रक्रया आरथक गतिविधियों में अस्थायी मंदी का कारण बन सकती है।
 - पुरानी मुद्रा की एकाएक वापसी और नई मुद्रा की सीमति उपलब्धता के कारण होने वाला व्यवधान व्यापार लेन-देन, उपभोक्ता खरच और समग्र आरथक उत्पादकता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
 - प्रशासनिक लागत: वमिद्रीकरण को लागू करने में प्रयाप्त प्रशासनिक लागतें शामिल हैं। नए करेसी नोटों की छपाई, ATMs की पुनर्गणना और परवर्तनों के बारे में जानकारी का प्रसार करना महँगा हो सकता है।
 - ये लागतें आमतौर पर सरकार द्वारा वहन की जाती हैं, जो सार्वजनिक वित्ति को प्रभावित कर सकती हैं तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रों या सार्वजनिक कल्याण कार्यकर्मों से संसाधनों को हटा सकती हैं।
 - नकदी संचालित क्षेत्रों पर प्रभाव: खुदरा, आतंकिय और छोटे व्यवसायों जैसे नकदी संचालित क्षेत्रों को वमिद्रीकरण के दौरान अधिक हानि हो सकती है।
 - छोटे व्यवसाय, विशेष रूप से जो कम लाभ अधिकारी पर काम कर रहे हैं, नई भुगतान प्रणालियों के अनुकूल होने के लिये संघर्ष कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप बक्त्री कम हो सकती है, छँटनी हो सकती है और अत्यधिक मामलों में व्यापार बंद हो सकता है।

भारत में कानूनी नविदि:

■ परचियः

- एक कानूनी नविदि मुद्रा का एक रूप है जसे कानून द्वारा ऋण या दायतिवों के निवेदन के लिये स्वीकार्य साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
 - RBI यह निधारति करने के लिये ज़मिमेदार है कलेन-देन के लिये मुद्रा के कसी रूप को वैध माना जाए।
- इसमें स्किका अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किये गए स्किके और RBI अधिनियम, 1934 की धारा 26 के तहत भारतीय रजिस्टर बैंक द्वारा जारी किये गए बैंक नोट शामल हैं।
 - सरकार 1,000 रुपए तक के सभी स्किके और 1 रुपए का नोट जारी करती है।
 - RBI 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य करेंसी नोट जारी करता है।

■ प्रकारः

- कानूनी नविदि प्रकृति में सीमति या असीमति हो सकती है।
 - भारत में स्किके सीमति वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। एक रुपए के बराबर या उससे अधिक मूल्यवर्ग के स्किकों को एक हजार रुपए तक की राशि के लिये कानूनी नविदि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
 - इसके अतिरिक्त पचास पैसे के स्किकों को दस रुपए तक की राशि के लिये कानूनी नविदि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
 - बैंक नोट उन पर बताइ गई कसी भी राशि के लिये असीमति कानूनी नविदि के रूप में कार्य करते हैं।
- हालाँकि काले धन पर अंकुश लगाने के लिये वर्तित अधिनियम 2017 द्वारा किये गए उपायों के प्रणालीमस्वरूप आयकर अधिनियम में एक नई धारा 269ST जोड़ी गई थी।
- एक नकद लेन-देन धारा 269ST द्वारा प्रतिबंधित था और प्रतिविनि केवल 2 लाख रुपए तक के मूल्य की अनुमति थी।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rbi-to-withdraw-rupees-2,000-notes-from-circulation>